क्या है बलपूर्वक विवाह?

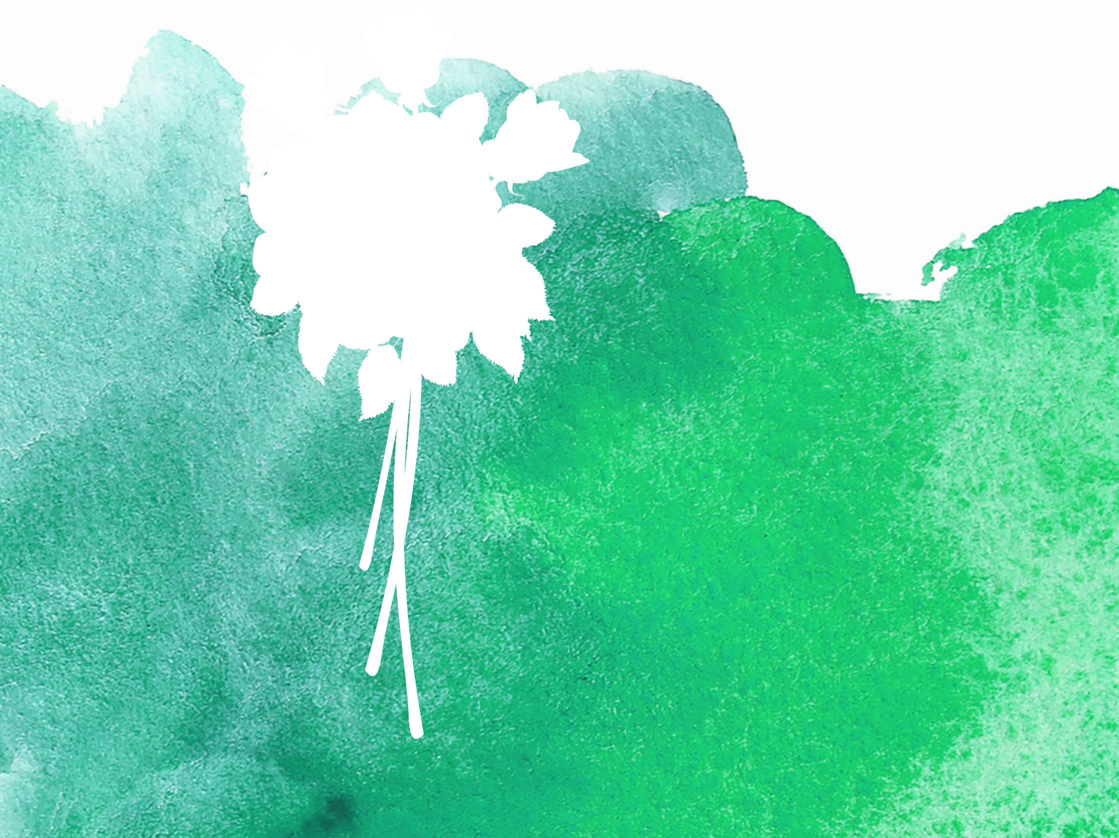

विषय-वस्तु

क्या है बलपूर्वक विवाह?	4
मैं क्या कर सकता हूं/सकती हूं?	6
आप अकेले नहीं हैं	8
अक्सर पूछे गए प्रश्न	14
सहायता और समर्थन	18

क्या है
बलपूर्वक विवाह?

किसी के भी साथ विवाह के लिए ज़बरदस्ती की जा सकती हैं -- इसमें सभी आयु, लिंग, जातीयता तथा धर्म के लोग शामिल हैं।

बलपूर्वक/ज़बरन विवाह ऐसी स्थिति है जिसमें एक या दोनों व्यक्ति विवाह के लिए सहमत नहीं होते हैं या एक-दुसरे से शादी करना नहीं चाहते हैं तथा दबाव या दुर्व्यवहार का उपयोग करके उन्हें विवाह करने पर मजबूर करता है।

ब्रिटेन में बलपूर्वक/ ज़बरन शादी अवैध है। यह घरेलू उत्पीड़न का एक रूप है और मानवाधिकारों का गंभीर दुरुपयोग है।

> किसी को विवाह के लिए ज़बरदस्ती करना केवल शारीरिक ही नहीं है, बल्कि यह सदा क़ानून के विरूद्ध है।

किसी पर शादी करने के लिए दबाव विभिन्न तरीक़ों से डाला जा सकता हैः

- **शारीरिक दबाव** किसी प्रकार की धमकियां या हिंसा के रूप में हो सकता है (इसमें यौन हिंसा भी शामिल है)
- **भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दबाव** किसी को ऐसा अनुभव कराना कि वे परिवार के लिए शर्मिंदगी का विषय हो सकते है, उनको ऐसा विश्वास करवाना कि यदि यह शादी न की गई तो वे जिन परिवार जनों के निकट हैं वे बीमार हो सकते हैं, या यदि वे इस विवाह के लिए राज़ी नहीं होते हैं तो उनको स्वतंत्रता तथा पैसे के लिए मना किया जा सकता है।

लेकिन जब शादी करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का हो, तो उनकी शादी कराने के लिए कुछ भी करना अपराध है - इसके लिए दबाव होना जरूरी नहीं है।

कुछ मामलों में लोगों को यह जाने बिना विदेश ले जाया जा सकता है कि उनका विवाह होना है। जब वे उस देश में पहुँचते हैं, तो उनके पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज़ ले लिए जा सकते हैं ताकि उन्हें यूके लौटने से रोकने की कोशिश की जा सके

सहमति क्या है?

एक विवाह के लिए कि वह सहमति से हो, जिनका विवाह हो रहा है उन दोनों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको यह अनुभव करना चाहिए है कि यह आपका चयन है।

कानूनन, जिन लोगों में कोई सीखने की अक्षमता है या जिनकी गंभीर मानसिक दशा है वे विवाह के लिए सहमति नहीं देने योग्य हैं, भले ही वे यह समझते हैं कि वे शादी करना चाहते हैं।

आयोजित विवाह क्या है?

एक अरेंज मैरिज बलपूर्वक शादी के समान नहीं है। एक व्यवस्थित विवाह में, परिवार विवाह साथी चुनने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे विवाह में प्रवेश करना चाहते हैं या नहीं।

जब बच्चों (18 साल तक) की शादी की बात आती है तो अरेंज मैरिज और जबरन शादी में कोई फर्क नहीं होता है। बच्चे की शादी के लिए कुछ भी करना एक जबरन शादी है - और एक अपराध है।

यदि आप विवाह के लिए सहमति देते हैं, लेकिन बाद में अपना इरादा बदल देते हैं -- फिर भी यह सोचते हैं कि आपको यह शादी करनी होगी -- तो यह शादी भी बलपूर्वक शादी है।

मैं क्या कर सकता हूं/सकती हूं?

यदि आप तुरन्त विपत्ति में हैं तो पुलिस को 999 पर काल करें।

यदि आप पर आपके किसी परिचित पर विवाह करने का दबाव डाला जा रहा है चाहे UK में या विदेश में, तो आप फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट से सम्पर्क कर सकते हैं।

फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट क्या है?

फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट पीड़ितों, मुसीबत में फंसे लोगों और व्यवसायिकों को सलाह तथा सहायता प्रदान करती है।

फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट आपको पुलिस को रिपोर्ट करने के पहले और बाद में सलाह तथा सहायता दोनों प्रदान कर सकते हैं, यहां तक कि आप अगर रिपोर्ट न करने का निर्णय लें तब भी। पेश की जाने वाली सहायता में जानकारी और मार्गदर्शन देने से लेकर विदेशों में रहनेवाले विपत्ति-ग्रस्त ब्रिटिश नागरिकों को वापस UK लाना तक शामिल है।

केसवर्करों को बलपूर्वक विवाह से संबंधित सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भावनात्मक मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव है।

जबरन विवाह इकाई राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना यूके में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सलाह और समर्थन दे सकती है। विदेशों में, हमारे ब्रिटिश दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास ब्रिटिश नागरिकों (दोहरे नागरिकों सहित) और कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रमंडल नागरिकों को कांसुलर सहायता प्रदान कर सकते हैं।

काल करें:
(+44) (0) 207 008 0151 सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक
(+44) (0) 207 008 1500 ग्लोबल रिस्पान्स सेंटर (घंटों के बाहर)
ईमेल: FMU@fco.gov.uk

आप अकेले नहीं हैं

यदि आप या आपके किसी जानने वाले पर शादी के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो अलग-थलग महसूस करना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। हर साल, एलजीबीटीक्यू+ समुदाय सहित, सभी उम्र, जातियों और धर्मों के महिलाओं और पुरुषों के एक हजार से अधिक मामले हमारे सामने आते हैं। फिर भी, बहुत से लोग यह रिपोर्ट नहीं करते कि उनके साथ क्या हो रहा है, या वे जो सोच सकते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है जिसे वे जानते हैं।

ये वास्तविक जीवन की कहानियाँ दिखाती हैं कि विवाह के लिए किसी पर भी दबाव डाला जा सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, लिंग, धर्म या जातीयता के हों -- और यह कि रिपोर्ट करने से जीवन बच सकते हैं। (जो नाम दिए गए हैं वे उनके वास्तविक नाम नहीं हैं।)

आइशा की कथा

"मैं 15 वर्ष की थी और अपने GCSEs समाप्त करने ही वाली थी तब मैंने यह अनुभव किया कि पिता जी मेरी शादी मेरे बड़े कज़िन के साथ करवाने के लिए मुझे विदेश भेजने की योजना बना रहे थे। पिता जी हर समय क्रोधित रहते थे और प्रायः मुझे और मेरी मां को मारते भी थे। मेरी मां नहीं चाहती थीं कि मेरी शादी इतनी कम उम्र में हो, पर वह उनको न कहने में बहुत डरती थीं। मैंने सोचा कि मेरे डैड शायद मुझे बहाना बनाकर इस देश से बाहर ले जाएं और फिर मेरा फ़ोन मुझसे छीन लें ताकि मैं सहायता के लिए किसी को फ़ोन भी न कर सकूँ।"

आइशा ने अपने स्कूल की एक टीचर को बताया, जिसने फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट को कॉल किया। फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट ने चिल्ड्रेन सोशल केयर के साथ काम किया गया, ताकि एक फ़ोर्स्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑर्डर हासिल कर सकें, जो आइशा के डैड को दिया गया। इस ऑर्डर से यह बलपूर्वक शादी नहीं हो पाई क्योंकि आइशा का पिता उसको इस देश से बाहर नहीं ले जा सका तथा उसकी ओर से पासपोर्ट का आवेदन भी नहीं दे सका। आइशा घर में रहने से डर रही थी तो उसको कुछ समय के लिए सुरक्षित फ़ॉस्टर प्लेसमेन्ट दिया गया। आइशा की मां ने चिल्ड्रेन सोशल केयर के साथ मिलकर काम किया और उसे आइशा के पिता को छोड़ने के लिए समर्थन दिया गया। आइशा अब सुरक्षा से अपनी मां और अपने छोटे भाइयों के साथ रहती है तथा वह अपने GCSEs भी समाप्त कर सकी।

सैयद की कथा

“मैं 25 वर्ष का था जब मेरे माता-पिता मुझे परिवार में होने वाली किसी की शादी के लिए पाकिस्तान ले गए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि वह मैं था जिसकी शादी हो रही थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था पर मेरी माँ को बहुत सी स्वास्थ्य संबन्धी समस्याएं थीं और हर किसी ने कहा कि इंकार करके मैं उनको और अधिक बीमार बना रहा था। कई दिनों तक नहीं कहने के बाद आखिरकार मैं अपने परिवार वालों की इच्छा के सामने झुक गया। जब मैं UK वापस आया, मैंने इसे भूल जाने की कोशिश की और अपने जीवन में लग गया। तब मेरी पत्नी के परिवार वालों ने मेरे ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि मैं उसके UK आने के लिए वीज़ा का आवेदन दूँ। वे मुझे कॉल करते और धमकियां देते।”

सैयद ने अवसर मिलते ही फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट को कॉल किया तथा फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट वाले उसे यह समझा पाएं कि वे कैसे उसकी सहायता कर सकते हैं क्योंकि वह एक अनिच्छुक प्रायोजक था।

ख़दीजा की कहानी

“मुझे मेकअप करने और अपने मित्रों के साथ देर तक बाहर रहने के कारण घर में बहुत परेशानी होती थी। मेरी माँ को यह अच्छा नहीं लगता था और हम बहुत बहस करते थे। जब मैं 19 वर्ष की थी, उन्होंने मुझसे कहा कि हम छुट्टियों पर मेरी ग्रैन्डमां से मिलने के लिए सोमालिया जा रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी माँ ने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया और मुझसे कहा कि मुझे वहां ही रहना है जब तक मैं एक अच्छी सोमालियन बेटी की तरह रहना सीख नहीं जाती। उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया और मुझे वहाँ छोड़ दिया। वह स्कूल वास्तव में बहुत बुरा था। वे हमें मारते थे और मुझसे कहा कि यदि मैं वहाँ से निकलना चाहती हूँ तो मुझे एक गार्ड से शादी करनी होगी।”

ख़दीजा ने एक फ़ोन छुपा कर रखा हुआ था। उसने अपने बॉयफ्रेन्ड को बताया कि क्या हुआ और उसने फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट को कॉल किया। फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट ने UK में फ़ोर्स्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने के लिए पुलिस के साथ काम किया, जिससे ख़दीजा की माँ को निर्देश दिए गए कि वह ख़दीजा का पासपोर्ट वापस करे, उसे स्कूल छोड़ने की अनुमति दे तथा उन्होंने उसके UK वापस आने के लिए एक फ़्लाइट बुक की। फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट ने ख़दीजा के UK वापस आने पर कुछ समय रहने के लिए एक सुरक्षित आवास खोजने में उसकी मदद की। आजकल वह एक रिफ़्यूज में रह रही है तथा उसे उसके परिवार से स्वतंत्र अपना जीवन जीने के लिए विशेषज्ञ पेशेवरों से सहायता मिल रही है। (मोगाडिशु में ब्रिटिश दूतावास द्वारा कन्सुलर सेवाएं नहीं प्रदान की जाती हैं। यदि आप सोमालिया या सोमालीलैन्ड में हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं ब्रिटिश हाई कमीशन नैरोबी को.)

मनदीप की कहानी

“पिछली रात को मैंने सुना कि मेरे माता-पिता इन गर्मियों में भारत जाने की बात कर रहे थे और उनकी योजना थी कि जब हम वहाँ होंगे तो मेरे भाई मनदीप की शादी करा दें। मेरी माँ ने कहा कि वे अब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो उसके लिए यह अच्छा होगा यदि उसकी एक पत्नी हो जो उसकी देखभाल करे। मनदीप को गंभीर लर्निंग विकलांगता है और वह मां और पिता जी पर आम कामों के लिए भी निर्भर रहता है। मैं नहीं समझती कि वह शादी के बारे में कुछ समझता है।”

मनदीप की बहन ने अपने भाई की दशा और उसकी यह समझने की अक्षमता कि उसके साथ क्या होने जा रहा था तथा अपनी चिंताओं के विषय में बताने के लिए फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट से संपर्क किया। फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट ने स्थानीय समाजिक केयर टीम को संपर्क करके उन्हें हालात के बारे में बताया और उनसे पूछा कि क्या मनदीप के लिए एक मेंटल कैपेसिटी असेसमेंट पूरा किया जा सकता है, यह निश्चित करते हुए कि सूचना का आधार गुप्त रखा जाए। मनदीप को पहले से ही लर्निंग विकलांगता टीम की ओर से सहायता मिल रही थी, पर उनको इस शादी के विषय में जानकारी नहीं था। हालांकि मूल्यांकन में, उन्होंने पाया कि उसमें सेक्स और शादी के विषय में सहमति देने की कमी थी। फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट की सलाह पर, एक सेफ़गार्डिंग योजना बनाई गई, साथ ही एक फ़ोर्स्ड मैरिज प्रोटेक्शन आर्डर भी। लर्निंग विकलांगता टीम ने तब परिवार के साथ मिलकर काम किया और उनको समझाया कि मनदीप की शादी करने में क्या जोखिम है तथा भविष्य में उसकी दीर्घकालिक आवश्यकताओं के विषय में विभिन्न विकल्पों का पता लगाया।

माल्कम की कहानी

"मैं सूज़न हूँ। माल्कम मेरे पिता हैं। उनकी आयु 75 वर्ष की हैं और पिछले 5 वर्षों में वह अल्ज़ाइमर्स रोग से बहुत पीड़ित हैं तथा उनका डैमेन्शिया भी बहुत गंभीर है। वह कहां रहते हैं या कैसे नाश्ता बनाया जाए, जैसी सबसे आम बातें भी याद नहीं रख सकते हैं। पिछली गर्मियों में मेरी पड़ोसन पामेला ने मुझे बताया कि उसने अपने लिए एक हॉलिडे बुक की हैं और वे दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं तथा वापस आने के बाद शादी करने की योजना बना रहे हैं। मैं इसपर विश्वास नहीं कर सकी। जब मैंने मेरे डैड से इस बारे में पूछा तो उन्हें कुछ याद नहीं था कि उन्होंने ट्रिप पर जाने के लिए हाँ कहा था परन्तु यह सोचते थे कि छुट्टियों पर जाना अच्छा होगा। जब मैंने शादी के बारे में बताया तो मुझे लगा कि उनको समझ में नहीं आया था।"

सूज़न को यह समझ नहीं आया कि यदि इसे बलपूर्वक शादी कहा जाएगा या नहीं तो उसने फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट को कॉल किया। उन्होंने समझाया कि यदि माल्कम में इतनी क्षमता नहीं है कि वह शादी की सहमति के विषय में समझ सके, तो उनके लिए शादी करना एक अपराध होगा। तुरन्त एडल्ट सोशल केयर की ओर से एक कैपेसिटी असेस्मेन्ट किया गया। यह पाया गया कि माल्कम में शादी की सहमति देने की समझ नहीं है और पुलिस को इसपर काम करने और इसे रोकने के लिए कहा गया।

अक्सर पूछे गए प्रश्न

जब मैं फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट को कॉल करूँ तो क्या होता है?

आप एक अनुभवी केसवर्कर से बात करेंगे जो आपकी बात सुनेगा और आपके व्यक्तिगत हालात के अनुरूप आपको सहायता और जानकारी प्रदान करेगा। वे आपको आपके अधिकारों और आपके लिए उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी देंगे। हम आपके परिवार से संपर्क नहीं करेंगे।

क्या फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट को की गईं कॉल गुमनाम होती हैं?

आप चाहें तो गुमनाम रह सकते हैं, लेकिन इससे फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट से मिलने वाली सहायता सीमित हो सकती है, अतः वे अक्सर आपकी आयु, स्थान और राष्ट्रीयता जैसे विवरण मांगेंगे। आपके द्वारा हमारे साथ साझा की जाने वाली किसी भी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा, जब तक कि आपकी आयु 18 वर्ष से कम न हो या हानि का आसन्न जोखिम न हो।

क्या आप मेरी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं?

हालांकि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको उन एजेंसियों के संपर्क में रख सकते हैं जो आपकी सुरक्षा में मदद कर सकती हैं। यदि आप तत्काल खतरे में हैं तो आपको सदा पुलिस को 999 पर कॉल करना चाहिए।

मुझे घर छोड़ने का फैसला करने पर क्या करना चाहिए?

बलपूर्वक विवाह के शिकार लोगों को शरण (रिफ़्यूज़) में सुरक्षित आवास उपलब्ध हो सकता है और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए विशेषज्ञ सेवाएं मौजूद हैं। शरणस्थली (रिफ़्यूज) सोने के लिए सुरक्षित जगह से कहीं अधिक है। विशेषज्ञ कर्मचारी आपको एक नया जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करेंगे।

क्या होगा यदि मैं विदेश में हूं और किसी तरह भाग निकलती हूं, लेकिन मेरे पास घर जाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है?

यदि संभव हो तो, कुछ स्थानीय मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट वाला एक मोबाइल फ़ोन और अपने पासपोर्ट की एक प्रति लेने का प्रयास करें (और यदि आपके पास किसी अन्य देश का निवास या आप्रवासन दस्तावेज हैं, तो इन्हें भी लें)। लेकिन यदि आवश्यक हो तो हम UK यात्रा दस्तावेज़ों को बदलने में मदद कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप इन वस्तुओं को सुरक्षित और छिपा कर रखते हैं।

हम आपको सलाह प्रदान कर सकते हैं और UK लौटने के संबंध में कई विकल्पों का पता लगाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आपके प्रत्यावर्तन की लागतों को कवर करने में सहायता के लिए कुछ परिस्थितियों में एक बलपूर्वक विवाह सुरक्षा आदेश का भी उपयोग किया जा सकता है।

मुझे UK वापस आने में कितना समय लगेगा और जबतक व्यवस्था की जा रही है तो मैं कहाँ रहूँगा?

हम आपके जल्द से जल्द वापस आने की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हालांकि, अगर आपको लंबे समय तक विदेश में रहना पड़ता है, तो हम आपको ठहरने के लिए एक उपयुक्त सुरक्षित जगह खोजने में मदद करने का प्रयास करेंगे।

यदि मैं विदेश में हूं, तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट न होने पर क्या होगा?

बशर्ते कि आप एक ब्रिटिश नागरिक हैं, हम आपकी पहचान से संतुष्ट हो जाने पर, आपको आपातकालीन यात्रा के काग़ज़ात जारी कर सकते हैं। यदि आप ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं, तो फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट आपको उस देश के निकटतम दूतावास से भी संपर्क करने की सलाह देगी, जिसकी राष्ट्रीयता आपके पास है ताकि उनसे नया यात्रा दस्तावेज़ पाने में मदद ली जा सके।

मैंने विदेश में शादी की है, क्या मेरी शादी UK में वैध है?

यदि आपकी शादी को उस देश में कानूनी रूप से वैध माना जाता है जहां यह शादी हुई थी, तो कई मामलों में यह UK में भी वैध होगी। आपको एक वकील से बात करनी चाहिए, भले ही आपने धार्मिक या नागरिक विवाह किया हो। धार्मिक तलाक UK में कानूनी रूप से वैध नहीं है।

यदि मेरी आयु 16 वर्ष से कम है तो क्या तब भी आप मेरी मदद कर सकते हैं?

हाँ हम कर सकते हैं। अपने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए कृपया हेल्पलाइन को कॉल करें।

अगर मैं ब्रिटिश नागरिक नहीं हूं तब पर भी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?

फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट बलपूर्वक विवाह के जोखिम में होने वाले UK के किसी भी नागरिक को सहायता प्रदान कर सकती है पर हम केवल ब्रिटिश नागरिकों को विदेश में दूतावास संबंधी सहायता प्रदान करते हैं (इसमें दोहरी राष्ट्रीयता वाले भी आते हैं)।

क्या मुझे विवाह रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा मिल सकती है?

हां। UK में बलपूर्वक शादी एक अपराध है। अगर आपको शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो आप दीवानी अदालतों और/या आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर विचार करते समय आप यह चुन सकते हैं कि बलपूर्वक विवाह सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए नागरिक मार्ग अपनाना है, या पुलिस के पास जाना है और आपराधिक अदालत के माध्यम से मुकदमा चलाना है, या दोनों। आप इनमें से कोई भी काम न करना भी चुन सकते हैं। फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट आपको सभी विकल्पों का समझने में मदद कर सकती है।

बलपूर्वक विवाह से सुरक्षा के आदेशों का उपयोग किसी को बलपूर्वक शादी करने से रोकने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है जिसका पहले से ही बलपूर्वक विवाह हो चुका हो। किसी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इन आदेशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोर्स्ड मैरिज यूनिट को कॉल कर सकते हैं या यहां जा सकते हैं **https://www.gov.uk/government/publications/forced-marriage-protection-orders-fl701**

सहायता और समर्थन

आपातकाल में पुलिस	999
गैर-आपातकाल में पुलिस	101
आशियाना नेटवर्क (लंदन) - अश्वेत और अल्पसंख्यक जातीय महिलाओं और 14+ आयु लड़कियों के लिए विशेषज्ञ शरण, सलाह, समर्थन और परामर्श सेवाएं	0208 539 0427
चाइल्डलाइन	0800 1111
इम्कान - अश्वेत और अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध हिंसा को संबोधित करने वाला अश्वेत नारीवादी संगठन	020 7842 8525

IKWRO - महिला अधिकार संगठन (पूर्वी लंदन) - UK में रहने वाली मध्य पूर्वी और अफगान महिलाओं और लड़कियों की मदद करता है	0207 920 6460
फॉरवर्ड (उत्तरी लंदन) - महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए काम कर रही अफ्रीकी महिलाओं के नेतृत्व वाला संगठन	0208 960 4000
फ्रीडम चैरिटी	0845 607 0133
कर्म निर्वाण 'सम्मान' आधारित दुर्व्यवहार / फ़ोर्स्ड मैरिज हेल्पलाइन	0800 5999 247
लंदन ब्लैक विमिन्स प्रोजेक्ट	0208 472 0528
पुरुषों की सलाह लाइन	0808 801 0327
राष्ट्रीय घरेलू दुर्व्यवहार हेल्पलाइन	0808 2000 247
रिस्पॉन्ड - सीखने की अक्षमता वाले पीड़ितों के लिए	0207 383 0700
समैरिटन्स	116123
शक्ति विमिन्स एड (ऐडेनबरॉ)	0131 475 2399
शरण परियोजना - कमजोर महिलाओं को सहायता और सलाह प्रदान करने वाली चैरिटी, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई मूल की महिलाओं के लिए, जो दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के कारण अस्वीकार किए जाने के जोखिम में हैं	0844 504 3231
शेल्टर -- हाउसिंग एडवाइस	0808 800 4444
साउथहॉल ब्लैक सिस्टर्स - एक अखिल एशियाई संगठन जो सलाह, परामर्श और अन्य सहायता प्रदान करता है	0208 571 9595
स्टोनवॉल हाउसिंग - LGBT हाउसिंग एडवाइस	0207 359 5767
स्विचबोर्ड LGBT+ हेल्पलाइन	0300 330 0630
थ्रूकेयर हाउसिंग एंड सपोर्ट (बर्मिंघम)	0121 554 3920
टू ऑनर	07480 621711